भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3237
28 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

संकटग्रस्त इस्पात इकाइयों का पीएसयू के साथ विलय

3237 डा. फौजिया खान :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात मंत्रालय संकटग्रस्त इस्पात इकाइयों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के साथ विलय करने पर विचार कर रहा है ताकि इस्पात श्रमिकों की आजीविका सुरक्षित हो सके और संयंत्रों की वित्तीय समस्याओं को दूर किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मंत्रालय संकटग्रस्त इस्पात संयंत्रों को पुनर्जीवित करने और इस्पात श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई अन्य उपाय तलाश रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (घ) : सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की समय-समय पर समीक्षा करती है और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करती है। देश में इस्पात विनिर्माण करने वाली तीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)। वर्तमान में, इन कंपनियों के विलय पर विचार नहीं किया जा रहा है।

*****